सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय टिप्पणी

अपील प्रकरण संख्या 13/2014
जोगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट

11.06.2015

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नही किया है। अपीलकृत आदेश से अपीलांट को यदि बेदखल किया जाता है तो अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना चाहिए।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के पास कोई विधिकाधिकार विवादित भूमि पर बने रहने के सम्बन्ध में नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अपील सारहीन है। अतः खारिज की जानी चाहिए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया है। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सादुलशहर के आदेश दिनांक 13.03.2014 जिसके द्वारा अपीलांट को मुरब्बा नं 54 के किला नं 19, 22 से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है, को चुनौति दी गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख में संलग्न पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार चक 6 केआरडब्ल्यू के मुरब्बा नं 54, किला नं. 19, 22 रकबाराज पर की गई फसल रबी में नजायज काश्त की रिपोर्ट पी 14 में की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन कृषि भूमि रकबाराज है। जिस पर अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त की हुई है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबाराज पर अपीलकृत आदेश के माध्यम से जो बेदखली का आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है तथा ऐसे आदेश को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नही की गई हैं। अपील अपीलांट सारहीन है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/15

(करण सिह गोठवाल)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)